>

Title : Need to take steps to provide to Bihar its share of water as per Bansagar Agreement entered amongst the State of Bihar, U.P. and M.P.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सोन नदी के बंटवारे का समझौता भारत सरकार के नेतृत्व में हुआ था। बानसागर समझौते के पूर्व 100 वर्ष से भी अधिक सोम नदी पर बने बीआर बैराज से बिहार राज्य के पटना, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर जिलों में सुनिश्चित सिंचाई होती थी। उत्तर प्रदेश की सीमा में रिहंद जलाशय से लगातार पन बिजली बनाने के लिए निर्माण हुआ था। वहां बेस यूनिट के रूप में बिजली बनती थी। लगातार पानी इंदपुरी बैराज को मिलता था। लेकिन रिहंद जलाशय में पानी रुक गया। साथ ही बानसागर समझौते के पूर्व सोन बेसिन के पानी का शत-प्रतिशत प्रयोग बिहार राज्य द्वारा होता रहा। बान सागर समझौते में तय किया गया था कि सोन नदी में होने वाले जल प्रवाह से इंदपुरी में जल की मात्रा 5.57 मिलियन एकड़ फीट हर हालत में सिंचाई के लिए बिहार राज्य को प्राप्त होगी और बैराज पर जल प्रवाह को 13,000 क्यूसेक से कम नहीं होने दिया जाएगा। पूरे सोन बेसिन में जो पानी उपलब्ध था, उसमें फर्स्ट चार्ज सोन नहर की पुरानी प्रणाली के लिए तय किया गया। बानसागर बांध बन चुका है। रिहंद पन बिजली प्लांट में बिजली बनाने के लिए लगातार चलने के बजाए केवल पीक ऑवर्स में चलाया जा रहा है। दो-तीन वर्षों से इंदपुरी बैराज पर पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण बिहार का सबसे उपजाऊ भाग अकाल की मार झेल रहा है। खेतों को पानी और पेयजल की समस्या उस इलाके में उत्पन्न हो गई है। अतः केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी कि वह बिहार के हिस्से का पानी इंदपुरी बैराज पर आवश्यक जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर अपने प्रभाव का प्रयोग करे और भारत की सबसे प्राचीन सोन नहर प्रणाली, जहां उस क्षेत्र की उत्पादकता पंजाब और हरियाणा के बराबर है, वहां के किसानों को अपने खेतों में उत्पादन करने के लिए सुनिश्चित पानी देने की व्यवस्था करे।